न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द्र शर्मा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 302/2016

1. हरभजनसिंह पुत्र श्री मोहनसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 18 एफ. बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. रामप्यारी पत्नि शिवसिंह, पुत्री जगतसिंह जाति मजहबी सिख निवासी मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री नरेश गाबा अधिवक्ता — प्रार्थी

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 24-10-16

प्रार्थी द्वारा जरीये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम चक 8 एफ बड़ा के खाता संख्या 53/42 मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 1/.126, 10, 11, 20, 21 सालम कुल 1.138 हैक्टर खातेदारी दर्ज है।

प्रार्थी के उक्त रकबा हेतु कोई स्वीकृत शुद्धा रास्ता नहीं है। प्रार्थी के उक्त रकबा के साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि की भूमि चक हाजा के खाता संख्या 57/54 मुरब्बा नम्बर 2 का रकबा लगता हुआ है। तथा मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर नम्बर 21 के साथ ही प्रार्थी के मुरब्बा नम्बर 7 का किला नम्बर 1 लगता है। मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 21 तक रास्ता आया हुआ है। तथा आगे मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 21 की पश्चिमी दक्षिणी कून्ट पर 2 बिस्वा रास्ता यानि 16.6X82.6 फुट रास्ता चल रहा है। इससे होकर प्रार्थी अपनें रकबा में आ जा रहा है।

अप्रार्थी संख्या 1 के मन में गलत लालच आया हुआ है। तथा वह उक्त प्रचलित रास्ता को बन्द करना चाहते है। अतः अगर वह इसमें सफल होती है, तो दिक्कते पैदा होगी। अतः उक्त रास्ता स्वीकृत करवाया जाकर रिकार्ड में दर्ज करवाया जाना आवश्यक है। जिससे कि भविष्य में कोई विवाद पैदा ना हो इसके अलावा अन्य कोई रास्ता ना तो है, ना ही सुविधा जनक हो सकता । अतः प्रार्थी के रकबा के लिये उक्त रास्ता स्वीकृत करना जरूरी है।

अतः प्रार्थी के रकबा चक 18 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 7 के लिये अप्रार्थी के मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 21 में दक्षिणी कून्ट पर प्रचलित 2 बिस्वा यानि 16.6X82.6 फुट रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करनें का आदेश फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

लगातार 2

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीया को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जाकर तहसीलदार, श्रीगंगानगर से रिपोर्ट मंगवाई गई, तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा अपनें पत्रांक 1056 दिनांक 24.05.2015 को भिजवाई गई रिपोर्ट में कथन किया कि चक 18 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 7 के लिये मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 21 में दक्षिणी कून्ट पर प्रचलित रास्ता 16.6X82.6 फुट भूमि मुताबिक जमाबन्दी रिकार्ड रामप्यारी पत्नी शिवसिंह पुत्री जगतसिंह कौम मजहबी साकिन मटीली राठान के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त रकबा एस.एस. बी.जे. कृषि विकास शाखा श्रीगंगानगर के नाम से दर्ज रिकार्ड है।

प्रार्थी के द्वारा चाहा गया रास्ता के अलावा कोई सुविधा जनक रास्ते का विकल्प नहीं है। इस मुरब्बा के लिये पूर्व में स्वीकृत शुद्धा रास्ता नहीं है। न ही मौका पर कोई प्रचलित रास्ता चल रहा है।

अप्रार्थीया संख्या 1 आज जरिये रजिस्टर्ड नोटिस उपथित नहीं आनें के कारण दिनांक 28.09.2016 को अप्रार्थीया संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली बास्ते बहस दिनांक 17.10.2016 मुकर्रर की गई।

दिनांक 17.10.2016 को प्रार्थी के विद्धान अधिवक्ता की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किये जानें पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता स्वीकृत करना न्यायोचित पाया गया।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के अन्तर्गत चक 18 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 7 के लिये मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 21 में दक्षिणी कून्ट पर प्रचलित रास्ता 16.6X82.6 फुट भूमि मुताबिक जमाबन्दी रिकार्ड रामप्यारी पत्नी शिवसिंह पुत्री जगतसिंह कौम मजहबी साकिन मटीली राठान के नाम दर्ज रिकार्ड को गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाकर

तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है, कि अप्रार्थीया संख्या 1 को रास्ते के मुआवजे के फलस्वरूप डी.एल.सी. का दुगना तहसील कार्यालय में जमा करवानें के उपरान्त उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में रास्ते का नियमानुसार अमल दरामद किया जावे। जमा राशि को तहसीलदार जिसकी भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया गया है उसको अपनें स्तर से वितरित करेगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 24-10-16 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर